२३ २/२६

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप० नहीं हुए। वादी आदि० को आवाज लगायी गयी परन्तु उप० नहीं हुए। वादी को भी पुकार से आवाज लगायी गयी परन्तु उप० नहीं हुए। बार-बार आवाज लगायी परन्तु उप० नहीं हुए। पत्रावली को इन्तजार में रखवाया गया। पत्रावली को पुनः रखवाया गया। वादी आदि० व वादी स्वयं को आवाज लगायी गयी परन्तु कोई उप० नहीं हुए। बार-2 आवाज लगाये जाने पर भी वादी स्वयं वादी आदि० के उपस्थित नहीं होने पर वाद को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/2/2026 को खुले इजलास सुनाया गया।